अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-9(निर्देश/टीएस-4)/2013

आशीष गुप्ता

आई0पी0एस0

पुलिस महानिरीक्षक(अपराध)

उत्तर प्रदेश।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः मार्च ०4, 2013

प्रिय महोदय,

कृपया पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्याः47 दिनांक 18.10.12 एवं अनुवर्ती अ0शा0 पत्र संख्याः डीजी-सात-एस-9(निर्देश-टीएस)/2012 दिनांक 05.12.2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो जनपदों में दिनांक 16.03.2012 से घटित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की विशेष आख्या अपराध पत्रावलियों को **Heinous Crime Monitoring System** साफ्टवेयर में त्रुटि रहित कम्प्यूटरीकृत कराये जाने एवं प्रत्येक स्तर पर सुगमता पूर्वक पर्यवेक्षण/आंकलन किये जाने विषयक है।

2. उपर्युक्त साफ्टवेयर में विशेष अपराधों की फीडिंग हेतु की जा रही जनपदों की कार्यवाही के **Feedback** के अवलोकन से स्पष्ट है कि विशेष आख्या अपराध श्रेणी के अभियोगों की पत्रावलियों को साफ्टवेयर में अभिलेखीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यालय स्तर से दिये गये निर्देशों की उपेक्षा किया जाना विभागीय नियमों के प्रतिकूल है।

3. स्पष्ट करना है कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित किये गये कतिपय श्रेणी के विशेष आख्या अपराध के क्रम में निम्न शीर्षकों के अपराध विशेष आख्या अपराध होंगेः-

(1) डकैती।
(2) लूटः-
- जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो।
- जिसमें कोई आग्नेय शस्त्र लूटा गया है।
- एक लाख अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति की लूट।
- बैंक/पोस्ट आफिस में लूट अथवा बैंक/पोस्ट आफिस के धन के हस्तान्तरण के समय घटित लूट की घटना।

(3) हत्या/यौन हमला/बलवा/आगजनी के ऐसे अपराध जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति पीड़ित हों।
(4) गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध।
(5) हत्या के समस्त अपराध।
(6) दहेज मृत्यु के अपराध।
(7) पुलिस अभिरक्षा से किसी अभियुक्त के पलायन का अपराध।
(8) फिरौती हेतु अपहरण।

(9) रोड होल्डअप।
(10) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु।
(11) शस्त्र/गोला बारूद की दुकान से चोरी।
(12) दण्ड विधि संसोधन अध्यादेश-2013 में वर्णित यौन हमला(धारा 375 भादवि में जैसा परिभाषित किया गया है) के समस्त अपराध।
(13) विधि विरूद्ध भीड़ पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग की ऐसी घटनायें जिनमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो।
(14) पुलिस का दुर्व्यवहार।
(15) 01 लाख या इससे अधिक की फर्जी भारतीय मुद्रा (F.I.C.N.) की बरामदगी।
(16) विद्युत तार/ट्रान्सफार्मर चोरी।
(17) 3 लाख रूपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति की चोरी/नकबजनी।
(18) 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य का गबन/धोखाधड़ी।
(19) अन्य कोई अपराध, जिसमें लोकहित में अथवा किसी शिकायत आदि के आधार पर अथवा साम्प्रदायिक, जातीय या राजनैतिक झगड़े या झगड़े की आशंका पर जनपद में स्थानीय अपराधिक परिस्थितियों के आधार पर जनपदीय पुलिस प्रमुख विशेष आख्या/क्रमागत आख्याएं प्राप्त कर अनुश्रवण करना उचित समझें।

4. अपेक्षा की जाती है कि कृपया आप विशेष रूचि लेकर अपने जनपद में घटित विशेष अपराध आख्या श्रेणी के अभियोगों की एस0आर0 पत्रावलियां व क्रमागत आख्याएं **Heinous Crime Monitoring System** साफ्टवेयर में **Entry** कराये जाने के उद्देश्य से निम्नवत कार्यवाही अपने निकटस्थ पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करें:-

- यदि उपरोक्त श्रेणी के अपराधों की एसआर पत्रावली न खुली हो, तो उनकी एसआर पत्रावली खोल ली जाय।
- दिनांक 16.03.2012 से 31.03.2013 की अवधि में घटित समस्त विशेष आख्या अपराधों को अभियान चलाकर **Heinous Crime Monitoring System** साफ्टवेयर में त्रुटि रहित **Entry** कराने का कार्य दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण कर लिया जाय।
- सूचना फीड करते समय सुनिश्चित कर लिया जाय कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी, हा0अ0, कुर्की एवं उनके विरुद्ध प्रेषित किये गये आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट के दिनांक का उल्लेख क्रमागत आख्याओं में करके अभियोग की अद्यतन स्थिति अंकित की जाए।
- विवेचनात्मक प्रगति सम्बन्धी प्रत्येक माह तैयार की जाने वाली क्रमागत आख्याओं की कार्यवाही का सारांश निर्धारित शब्द सीमा के अन्दर साफ्टवेयर में अंकित किया जाय।
- विशेष अपराध पत्रावलियां क्षेत्राधिकारी स्तर पर तैयार की जाती है। प्रत्येक एस0आर0 केस का अभिलेखीकरण/अद्यावधिक करने के कार्य का उत्तरदायित्व पर्यवेक्षण अधिकारी/ क्षेत्राधिकारी को निर्धारित कर दिया जाय।
- इस अभियान की कार्यवाही के सम्पादन हेतु अस्थायी रूप से अतिरिक्त कार्मिकों का व्यवस्थापन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

- अभियान अवधि में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराकर अपराधों को **Heinous Crime Monitoring System** साफ्टवेयर में फीड करने के उपरान्त विवेचनात्मक प्रगति को अध्यावधिक रखे जाने की कार्यवाही अनवरत् प्रचलित रखी जाय।
- विशेष आख्या अपराधों का शत प्रतिशत अभिलेखीकरण/अद्यावधिक का कार्य कर पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण पत्र क्षेत्राधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय।
- इस कार्य का फीडबैक मुख्यालय स्तर से लिये जाने पर कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होने की दशा में जनपद के पुलिस प्रमुख की जबावदेही निर्धारित की जायेगी।

5. जनपद में घटित विशेष आख्या श्रेणी के अभियोगों से सम्बन्धित प्रचलित व बन्द सभी पत्रावलियां **Heinous Crime Monitoring System** में अद्यावधिक हैं, इस सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिनांक 05.04.2013 को द्वारा फैक्स अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तद्नुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को संज्ञानित किया जा सके।

भवदीय,

4/8/2013

(आशीष गुप्ता)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वह उक्त कार्य के सम्पादन हेतु अपने-अपने स्तर से समुचित निर्देश निर्गत कर जनपदीय पुलिस के कार्यो की समीक्षा करने का कष्ट करें।

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।